

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज ने 01, थाना खरगूपुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजमन पुत्र रामआधार निवासी ग्राम नन्दनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-104/22, 02. शेषराम पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-105/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामदेव पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम कामा टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-146/22, 02. विष्णु पुत्र हुसैनी निवासी ग्राम हजियापुर मौजा गनेशपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-147/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 02.06.2022

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त बोटले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बोटले पुत्र जगप्रसाद निवासी कलवारन पुरवा मौजा सर्वांगपुर थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-171/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता-

01. का0 शिवानन्द यादव मय टीमा।

सराहनीय प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 02.06.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 01.06.2021 को थाना कटराबाजार के उ०नि० अश्वनी कुमार पाण्डेय मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में खाना था कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त पिन्टू दीक्षित को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया । जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 180 एलप्रासेफ की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद हुई । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पिन्टू दीक्षित पुत्र सरवन लाल दीक्षित निवासी ग्राम भटपुरवा मौजा देवापसिया थाना कटरा बाजार गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 172/22, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 180 अवैध नशीली गोलियाँ (एलप्रासेफ) बरामद ।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० अश्वनी कुमार पाण्डेय मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.06.2022

ऑपरेशन मुस्कान के तहत 03 घण्टे के अन्दर 03 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द, अपनों से मिलकर बच्चों व परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा लड़के/लड़कियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 01.06.2022 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अंतर्गत लवकुश मिश्रा पुत्र रामदास मिश्रा निवासी पुरे धनी थाना इटियाथोक जनपद गोंडा ने थाना इटियाथोक को सूचना दी गई कि मेरी दो पुत्री उम्र लगभग 7 वर्ष व 6 वर्ष तथा भतीजा उम्र 8 वर्ष जो घर से खेलने हेतु निकले थे काफी समय बीत जाने पर घर वापस नहीं आए, उक्त सूचना पर तत्काल थाना इटियाथोक पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र बच्चों की बरामदगी के लिए टीमें गठित की गयी थी। थानाध्यक्ष इटियाथोक करुणाकर पाण्डेय मय टीम के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए अथक प्रयास से 03 घण्टे के अन्दर बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्चों से मिलकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनो ने गोण्डा पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उक्त सराहनीय कार्य की आम जनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने पुलिस टीम को उत्साहवर्द्धन हेतु 15,000 रू० के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स० 140/22 धारा-363 भादवि थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

बरामदकर्ता टीम

थानाध्यक्ष करुणाकर पाण्डेय मय टीम थाना इटियाथोक।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.06.2022

फर्जी अपहरण की सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार:-

दिनांक 01.05.2022 को थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत बुद्धराम विश्वकर्मा पुत्र प्यारे विश्वकर्मा नि0 गोपसराय थाना नवाबगंज गोण्डा ने सूचना दिया कि मेरा पुत्र राधेश्याम उर्फ भोलू विश्वकर्मा न्योता खाने ग्राम सभा डबरी गया था रास्ते में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे पुत्र की आँख पर पट्टी बांधकर अपहरण कर ले गया है। तथा मेरे पुत्र के मोबाइल से मेरे ही गाँव के निवासी विवेक सिंह के फोन पर काल करके 2 लाख रूपये की फिरौती की माँग की जा रही है।

घटना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी तरबगंज के पर्यवेक्षण में टीम लगायी गयी थी।

उक्त के क्रम में थाना तरबगंज पुलिस व अन्य गठित टीमों द्वारा अपने तकनिकी माध्यमों से व लोगों से पूछताछ व गोपनीय जानकारी करते हुए लगातार गहन सुरागरी पतारसी करते हुए-अपहृत को लोकेशन के आधार पर बरामद किया गया। गहन पूछताछ से यह बात प्रकाश में आयी कि अपहरण की तथाकथित घटना अपहृत राधेश्याम उर्फ भोलू विश्वकर्मा द्वारा स्वयं ही अपने गाँव के विवेक सिंह से दो लाख रूपया प्राप्त कर कर्जा चुकाने के उद्देश्य से छल कपट कर झूठा अपहरण की योजना बनायी। अपहरण की फर्जी सूचना देने वाले को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 186/22 धारा-- 364ए भादवि थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

तरमीम धारा – 419, 182, 200 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राधेश्याम उर्फ भोलू विश्वकर्मा बुद्धिराम निवसी गोपसराय थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाठक मय टीम।

दिनांक-02.06.2022

अवैध बम बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 सर्किट बम, 01 पिस्टल, 01 रिवाल्वर, 18 कारतूस, 2 किलो गांजा व बम बनाने के सामग्री व उपकरण बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। जिसमें थाना नवाबगंज को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देशन के क्रम में दिनांक 01.06.2022 को थाना नवाबगंज पुलिस पैदल गश्त/ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की थाना क्षेत्र के अन्तर्गत तिकोनिया पार्क के पास तेज धमाका हुआ है। प्रकरण संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने थानाध्यक्ष नवाबगंज व एसओजी की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंचने तथा डॉग स्कॉयड व फोरेसिक टीम को घटनास्थल की जांच करने के निर्देश दिए थे जिसके क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपी पुरुषोत्तम केसरवानी व कृष्ण नारायण केसरवानी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद सर्किट बम, 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर मय 12 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर मय 06 अदद जिन्दा कारतूस, बम व अवैध शस्त्र बनाने की सामग्री व उपकरण तथा 02 किलो नाजायज गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

01. पुरुषोत्तम केसरवानी उर्फ बड़का पुत्र रामबाबू केसरवानी नि0 पुरानी सब्जी मण्डी मो0 मुट्टीगंज कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. कृष्ण नारायण केसरवानी उर्फ बब्लू पुत्र रामबाबू केसरवानी नि0 पुरानी सब्जी मण्डी मो0 मुट्टीगंज कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण-

01. 03 अदद सर्किट बम।
02. 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर मय 12 जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस
04. 02 किलो नाजायज गांजा
05. बम व अवैध शस्त्र बनाने की सामग्री व उपकरण

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 2022/211, धारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 5/4/3 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0सं0अ0-2022/207, धारा आर्म्स 25/3एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0सं0अ0-आर्म्स एक्ट 25/3 धारा 2022/208 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0सं0अ0-2022/209, धारा एनडीपीएस एक्ट 20/8थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0सं0अ0-2022/210, धारा एनडीपीएस 20/8 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 तेजप्रताप सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज मय पुलिस टीम।
02. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह, प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.06.2022

फर्जी पत्रकार बनकर धन उगाही करने वाले 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 02.06.2022 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत वादी मुकदमा काली दयाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० ग्राम खरथरी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा अभियुक्तगण 01. महेश गोश्वामी 02. पवनदेव सिंह को पकड़ कर लाया गया था। उक्त अभियुक्तगण मु०अ०सं०-204/22 धारा 386 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा में वांछित थे अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. महेश गोस्वामी पुत्र बजरगीलाल गोस्वामी निवासी कटरा बाजार थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा ।
02. पवन देव सिंह पुत्र स्व० कृष्ण चन्द्र सिंह निवासी धौरहरा कर्नलगंज थाना को० कर्नलगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 204/22 धारा 386 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. हे०मो० दिनेश कुमार यादव मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.06.2022

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मु0अ0सं0-262/22, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी के बानामे की जमीन को धोखाधड़ी, कूटरचित कर क्रय विक्रय किया गया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मनीराम पुत्र हरीराम निवासी राजापुर थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-262/2022, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय कुमार मय टीम।